न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-464RAAJodhpur2024-190RTA223 Meghsingh Vs Mukesh Vyas etc

मेघसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह, जाति राजपूत, निवासी– ग्राम बारू, तहसील बाप, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. मुकेश व्यास पुत्र जानकी वल्लभ व्यास
2. रजना व्यास पत्नी मुकेश व्यास
   जातियान् व्यास(ब्राहमण) निवासीगण– बाड़मेर, हाल निवासी– पहली गली, चौपासनी मंदिर के पास, चौपासनी गांव, जोधपुर।
3. नाथूसिंह पुत्र सांवतसिंह
4. जुगतसिंह पुत्र चन्दनसिंह फौत के कायम मुकाम–
   - 4.1. हड़मानसिंह पुत्र स्व. जुगतसिंह
   - 4.2. जबरसिंह पुत्र स्व. जुगतसिंह
   - 4.3. नारायणसिंह पुत्र स्व. जुगतसिंह
5. बालू कंवर पत्नी लादूसिंह
6. संतोष कंवर पत्नी चन्दनसिंह
7. चन्दनसिंह पुत्र अचलसिंह
   जातियान् राजपूत, निवासीगण– ग्राम बारू, तहसील बाप, जिला फलोदी।
8. अमरचंद पुत्र रामनारायण
9. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण
   जातियान् माहेश्वरी(पुंगलिया) निवासीगण– जोधपुर, राज.।
10. मनोहरलाल पुत्र जुगताराम
11. नैनी पुत्री मनोहरलाल
12. शैतानराम पुत्र जुगताराम
13. शांति पत्नी शैतानराम
    जातियान् सुथार, निवासीगण– ग्राम बारू, तहीसल बाप, जिला फलोदी।
14. कैलाश कंवर पत्नी उम्मेदसिंह, जाति राजपूत, निवासीगण– ग्राम डाबला, तहसील सांचौर, जिला जालौर।
15. शाखा प्रबंधक, आर.एम.जी.बी. शाखा शेखासर, जिला फलोदी।
16. तहसीलदार बाप, जिला फलोदी।
17. शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा फलोदी।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 अक्टूबर 2022 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 52/2021 मुकेश व्यास बनाम नाथूसिंह इत्यादि

उपस्थित–
श्री गिरधरसिंह भाटी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री गौरव निम्बावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 16

नि र्ण य

दिनांक : 25 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 52/2021 अनवान मुकेश व्यास बनाम नाथूसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 अक्टूबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बादग्रस्त भूमि खसरा नं. 880 रकबा 466.07 बीघा ग्राम बारू तहसील बाप के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड सहखातेदार है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनो की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। रेस्पोडेंट संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एक व दो वादग्रस्त आराजीयात में खरीददार एवं अजनबी व्यक्ति है। रेस्पोडेंट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी पड़ौस दिखाकर खरीद की गई है, जबकि सामलाती भूमि पड़ौस दिखाकर नहीं खरीदी जा सकती है। रेस्पोडेंट्स संख्या एक व दो का वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त नहीं है। रेस्पोडेंट्स आलौच्य निर्णय की आड़ में मौके पर अच्छी जमीन लेना चाहते है। अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी प्रस्तुत कर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना का निवेदन किया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट को आलौच्य निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव के संबंध में फोन कर सूचना दिये जाने पर अपीलांट को आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनो की सम्यक तामील करवाये जाने के बाजवूद भी वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा उपस्थित उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन के वाद में विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में उसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हक–हिस्से में परिवर्तन का उज्र उठाया है। वकील रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस जारी रखने हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी प्रस्तुत किया था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अपीलांट पर सम्यक तामील मानते हुए खारिज कर दिया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय मण्डल द्वारा निगरानी को निर्णित करते हुए विचारण न्यायालय को निर्देशित किया कि विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनते हुए अंतिम डिक्री जारी की जावे। अपीलांट माननीय मण्डल के निगरानीधीन आदेश की पालना में विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित नही होकर तथ्यों को छुपाते हुए हस्तगत अपील प्रस्तुत की हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम में भी मिथ्या कथन किये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से होने से खारिज फरामायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा उपस्थित पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी कर वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 880 रकबा 466.07 बीघा ग्राम बारू में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से तेरह के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार बाप से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा अपने हक–हिस्से में फेरबदल के संबंध में किसी प्रकार का उज्र किया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट की ओर से माननीय मण्डल के समक्ष प्रस्तत निगरानी संख्या 6405/2023 अनवान मेघसिंह बनाम मुकेश व्यास में माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 03 सितंबर 2024 के जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को विधिसम्मत मानते हुए विचारण न्यायालय को विभाजन प्रस्ताव पर सभी पक्षों को सुनकर अंतिम डिक्री जारी किये जाने के निर्देश दिये गये है। माननीय मण्डल के निर्देशों की पालना में अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही हेतु उपस्थित न होकर तथ्यों को छुपाते हुए हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। उपलब्ध अभिलेख से साबित है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी पूर्व से ही रही है। लिहाजा गुणावगुण पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पारित किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट काल–वर्जित पाये जाने तथा गुणावगुण पर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 52/2021 अनवान मुकेश व्यास बनाम नाथूसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 अक्टूबर 2022 यथावत रखे जाते है। साथ माननीय मण्डल के निगरानीधीन आदेश के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मूल वाद में विधिसम्मत अंतिम डिक्री जारी करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18 मार्च 2025 को उपस्थित रहे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-464RAAJodhpur2024-190RTA223 Meghsingh Vs Mukesh Vyas etc

अपीलाण्ट

मेघसिंह
पुत्र श्री
चन्दनसिं
ह, जाति
राजपूत,
निवासी–
ग्राम
बारू,
तहसील
बाप,
जिला
फलोदी।

ब ना म

रेस्पोडेण्ट

1. मुकेश व्यास पुत्र जानकी वल्लभ व्यास
2. रजना व्यास पत्नी मुकेश व्यास
   जातियान् व्यास(ब्राहमण) निवासीगण– बाड़मेर, हाल निवासी– पहली गली, चौपासनी मंदिर के पास, चौपासनी गांव, जोधपुर।
3. नाथूसिंह पुत्र सांवतसिंह
4. जुगतसिंह पुत्र चन्दनसिंह फौत के कायम मुकाम–
   - 4.1. हड़मानसिंह पुत्र स्व. जुगतसिंह
   - 4.2. जबरसिंह पुत्र स्व. जुगतसिंह
   - 4.3. नारायणसिंह पुत्र स्व. जुगतसिंह
5. बालू कंवर पत्नी लादूसिंह
6. संतोष कंवर पत्नी चन्दनसिंह
7. चन्दनसिंह पुत्र अचलसिंह
   जातियान् राजपूत, निवासीगण– ग्राम बारू, तहसील बाप, जिला फलोदी।
8. अमरचंद पुत्र रामनारायण
9. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण
   जातियान् माहेश्वरी(पुंगलिया) निवासीगण– जोधपुर, राज.।
10. मनोहरलाल पुत्र जुगताराम
11. नैनी पुत्री मनोहरलाल
12. शैतानराम पुत्र जुगताराम
13. शांति पत्नी शैतानराम
    जातियान् सुथार, निवासीगण– ग्राम बारू, तहीसल बाप, जिला फलोदी।
14. कैलाश कंवर पत्नी उम्मेदसिंह, जाति राजपूत, निवासीगण– ग्राम डाबला, तहसील सांचौर, जिला जालौर।
15. शाखा प्रबंधक, आर.एम.जी.बी. शाखा शेखासर, जिला फलोदी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

16. तहसीलदार बाप, जिला फलोदी।
शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा फलोदी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 अक्टूबर 2022 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 52/2021 मुकेश व्यास बनाम नाथूसिंह इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 25 फरवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री गिरधरसिंह भाटी मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री गौरव निम्बावत अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट काल-वर्जित पाये जाने तथा गुणावगुण पर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 52/2021 अनवान मुकेश व्यास बनाम नाथूसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 अक्टूबर 2022 यथावत रखे जाते है। साथ माननीय मण्डल के निगरानीधीन आदेश के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मूल वाद में विधिसम्मत अंतिम डिक्री जारी करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18 मार्च 2025 को उपस्थित रहे। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 25 फरवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर